उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्याः 27–अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2013 दिनांकः 04 मई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्द्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधीक्षण अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं0–3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक स्थानापन्न अधीक्षण अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्ति हेतु स्तम्भ संख्या–04 के अनुसार निगम को आबण्टित किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/अभि0 संख्या/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक	अधिशासी अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् अवंटित निगम/तैनाती
1	2	3	4
1	श्री राम प्रसाद गुप्ता 82009/फैजाबाद 28–02–2014	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, बदायूँ।	अधीक्षण अभियन्ता (वै0एवं यांत्रिकी) प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ को आवंटित ।

2– उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21–3–2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3– प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल वि0वि0नि0लि0, लखनऊ, का यह दायित्व होगा कि वे आवण्टित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0पा0का0लि0 की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।

4– कारपोरेशन के का0ज्ञा0सं0–505–ज0श0एवंप्र0सु0–01/पाकालि/13–21–प्र0सु0/2001 दिनांक 4–5–2013 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेशों में नियमानुसार यथा वाछित कार्योत्तर अनुमोदन/पूर्वानुमोदन मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्देशों के अनुपालन में शासन द्वारा गठित द्वि–सदस्यीय समिति से, सम्बन्धित वितरण निगमों द्वारा ही प्राप्त किया जायेगा।

5– उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

6– नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि(06)–2001 दिनांक 11–6–2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

7– उपरोक्त अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि निदेशक पद पर चयनित अधिकारियों की किसी कारणवश प्रत्यावर्तन/पदच्युत के फलस्वरूप उनके मूल संवर्ग में अपने ज्येष्ठताक्रम में स्थापित किया जायेगा जिसके फलस्वप कनिष्ठतम प्रोन्नत अधिकारी मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 27 (1)अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2– प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर।
3– समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।
4– समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5– उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
6– अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ।
7– अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8– सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

04/5/13

(अजय कुमार पुरवार)
उप सचिव